

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(स्था0-0101)-89/2019.....263

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
लखीसराय, सुपौल, मधेपुरा एवं बाँका।

पटना, दिनांक : / 2-02-2020

विषय :-

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

CFMS Allotment Order No. 9740 Date 07.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपके कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों का बकाया वेतनादि मद में कुल 6298563/- (बासठ लाख अठानवें हजार पाँच सौ तिरसठ) रुपये मात्र का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 में होने वाले व्यय हेतु की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए।
6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
12. (i) यह आवंटन बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय के पत्रांक 685 दिनांक 21.12.2019 एवं पत्रांक 697 दिनांक 28.12.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- (ii) यह आवंटन बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल के पत्रांक 328 दिनांक 20.12.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- (iii) यह आवंटन बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा के पत्रांक 04 दिनांक 07.01.2020 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- (iv) यह आवंटन बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका में पदस्थापित श्री नील कुसुम कुमार सिन्हा, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो के आवेदन के आलोक में निर्गत किया जाता है।

अनुलग्नक :- CFMS Allotment Order No. 9740 Date 07.02.2020

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(स्था0 -0101)-89/2019...263 पटना, दिनांक 12-02-2020

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(स्था0 -0101)-89/2019...263 पटना, दिनांक 12-02-2020

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित) कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय, सुपौल, मधेपुरा एवं बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(स्था0 -0101)-89/2019...263 पटना, दिनांक 12-02-2020

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित) संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

**भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना।**

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य -  
उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बकाया वेतनादि मद  
में निधि का आवंटन :-

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01.01 वेतन	01.03 जीवन यापन भत्ता	01.04 मकान किराया भत्ता	01.05 परिवहन भत्ता	01.06 चिकित्सा भत्ता	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	9
1	लखीसराय	1460000	1030000	20000	10000	10000	2530000
2	सुपौल	1800000	360000	20000	20000	5000	2205000
3	मधेपुरा	750000	150000	30000	20000	11000	961000
4	बाँका	293047	256994	46316	6206	—	602563
कुल योग :-		4300047	1796994	116316	56206	26000	6298563

(बासठ लाख अन्तानवें हजार पाँच सौ तिरसठ रूपये)

निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाण

Comprehensive Financial Management System, Government of Bihar  
Revenue and Land Reforms Department  
Land Record and Survey Directorate, Old Secretariat Patna, PATNA, Bihar, 800015

Telephone: ,

**Allotment for Salary**

File Number : 17-awantan(Astha0 0101)89-

Date : 07/02/2020

Order Number : 9740

User Office : Land Record and Survey

Subject: Allotment for bakaya Amount

Reference Number : Lakhisarai Latter No 685 Date 21.12.2019 & 697 Date 28.12.2019, Supaul Latter No 328 Date 20-12-2019

Sanction is hereby accorded to the allotment of fund as per detail:-

Head of Account Detail:-

Demand Number: 40- Revenue and Land Reforms Department

Major Head: 2029- Land Revenue

Sub-Major Head: 00-

Minor Head: 102- SURVEY AND SETTLEMENT OPERATIONS

Subhead: 0101 - NA

Head of Account: 40-2029-00-102-0101- NA

Total Budget Provision – Rs. 99,36,65,000

Allotment before this Allotment – Rs. 18,80,98,625

Present Allotment Amount – Rs. 62,98,563

Allottee/Sub-Allottee office – Land Record & Survey Directorate

Purpose – Salaries and Allowances

Financial Year – 2019-2020

Additional Text :

**Annexure - I**

Amount in Rs.

Head of Account: 40-2029-00-102-0101-NA  
 Allottee/Sub Allottee office name: District Magistrate Office Banka

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
894033	01-03-Living allowance	2,56,994
894029	01-01-Salary	2,93,047
894037	01-04-House rent allowance	46,316
894041	01-05-Transportation allowance	6,206
<b>Total:</b>		<b>6,02,563</b>

Head of Account: 40-2029-00-102-0101-NA  
 Allottee/Sub Allottee office name: District Magistrate Office Supaul

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
894031	01-03-Living allowance	3,60,000
894027	01-01-Salary	18,00,000
894035	01-04-House rent allowance	20,000
894039	01-05-Transportation allowance	20,000
894043	01-06-Medical allowance	5,000
<b>Total:</b>		<b>22,05,000</b>

Head of Account: 40-2029-00-102-0101-NA  
 Allottee/Sub Allottee office name: District Magistrate Office Lakhisarai

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
894030	01-03-Living allowance	10,30,000
894024	01-01-Salary	14,60,000
894034	01-04-House rent allowance	20,000
894038	01-05-Transportation allowance	10,000
894042	01-06-Medical allowance	10,000
<b>Total:</b>		<b>25,30,000</b>

**Annexure - I**

Amount in Rs.

Head of Account:

40-2029-00-102-0101-NA

Allottee/Sub Allottee office name:

District Magistrate Office Madhepura

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
894032	01-03-Living allowance	1,50,000
894028	01-01-Salary	7,50,000
894036	01-04-House rent allowance	30,000
894040	01-05-Transportation allowance	20,000
894044	01-06-Medical allowance	11,000
<b>Total:</b>		<b>9,61,000</b>

Forwarded To -

1. AG
2. All DDO in Annexure
3. Treasury Officer